मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3530
11.08.2025 को उत्तर के लिए

विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

3530. श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वन भूमि पर सरकार द्वारा विकास कार्य करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के नियम क्या हैं;
(ख) क्या यह सच है कि उक्त कार्यों हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु शुःल्क क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा शासकीय विभागों से वसूला जाता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र के ग्राम सिरवेल विकासखण्ड भगवानपुरा में 33/11 के.वी. सब स्टेशन की स्थापना की परियोजना लागत 3.50 करोड़ रुपये है, किन्तु वन विभाग ने 10.32 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है, जिसके कारण उक्त सब स्टेशन की स्थापना लंबित है; और
(घ) क्या वन विभाग उक्त लंबित परियोजना की मुआवजा राशि को कम करने हेतु कोई पहल कर रहा है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में शामिल सभी परियोजनाओं या कार्यकलापों को वन भूमि सहित देश में कहीं भी, स्थापित करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी (ईसी) की आवश्यकता होगी। 1995 के डब्ल्यू.पी. (ग) संख्या 202 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, यदि परियोजना क्षेत्र में वन भूमि शामिल है, तो वन मंज़ूरी के प्रथम चरण प्रदायगी के बाद ही पर्यावरणीय मंज़ूरी दी जाती है।

(ख) प्रतिपूरक वनरोपण और शुद्ध वर्तमान मूल्य के लिए राशि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अनुसार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होगी।

(ग) भारत सरकार ने दिनांक 15.11.2024 को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कदवाली से सिरवेल विद्युत पारेषण लाइन तक 33 केवी लाइन बिछाने हेतु 29.212 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के अपवर्तन हेतु कार्यपालक अभियंता, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पक्ष में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की थी। वनमण्डलाधिकारी, खरगोन ने भारत सरकार द्वारा जारी अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के आधार पर शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी), प्रतिपूरक वनरोपण एवं औषधीय वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु उपयोगकर्ता एजेंसी को मांग पत्र जारी किया।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित एन.पी.वी. की दरों के अनुसार, उपयोगकर्ता एजेंसी से ₹9,57,780/- प्रति हेक्टेयर की दर से ₹2,79,78,669/- की राशि की मांग की गई है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.08.2023 के अनुसार, पारेषण लाइन परियोजनाओं के मामलों में दोहरे अवक्रमित वन भूमि में प्रतिपूरक वनरोपण योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा 60.00 हेक्टेयर में प्रतिपूरक वनरोपण योजना तैयार कर उपयोगकर्ता एजेंसी से ₹6,44,63,075/- की राशि की मांग की गई है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.11.2024 को जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में निर्धारित शर्तों के अनुसार, वन मंडल अधिकारी ने रेखा के नीचे 30 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधरोपण योजना तैयार कर उपयोगकर्ता एजेंसी से ₹1,08,30,660/- की राशि की मांग की है। तद्नुसार, वन मंडल अधिकारी, खरगोन ने उपयोगकर्ता एजेंसी को कुल ₹10.32 करोड़ की राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी किया है।

(घ) उपयोगकर्ता एजेंसी से मांगे गए प्रतिपूरक शुल्क के संबंध में, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत समेकित दिशानिर्देशों में उल्लिखित दरों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य के लिए शुल्क लगाया जाता है। मार्गाधिकार के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण और औषधीय वृक्षारोपण के लिए शुल्क राज्य सरकार द्वारा अपने वृक्षारोपण मानदंडों के अनुसार लगाया जाता है।

*****